



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224731
CG-DL-E-28012021-224731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]
No. 362]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 394(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-730C के बेवर-अल्लाहगंज खण्ड (किमी0 0.000 से किमी0 3.500) को ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) के अंतर्गत निर्माण/चौड़ीकरण (दो लेन पटरी सहित/चार लेन) के लिए उक्त अनुसूची के , स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तद्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-730C के बेवर-अल्लाहगंज खण्ड (किमी. 0.000 से किमी. 3.500) के निर्माण/चौड़ीकरण (दो लेन पटरी सहित/चार लेन) हेतु भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम								
1	2	3	4	5	6	7								
1	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मैनपुरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH730C के कि.मी. 0 से 3.5 तक	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	भोगाँव	<table><tr><td>1</td><td>बेवर</td></tr><tr><td>2</td><td>गजियाँपुर</td></tr><tr><td>3</td><td>बेवर ग्रामीण</td></tr><tr><td>4</td><td>बेवर शहरी</td></tr></table>	1	बेवर	2	गजियाँपुर	3	बेवर ग्रामीण	4	बेवर शहरी
1	बेवर													
2	गजियाँपुर													
3	बेवर ग्रामीण													
4	बेवर शहरी													

[फा. सं. PIU/MoRTH/FRK/NH-730C/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 394(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for rehabilitation and upgradation to 2 lane with paved shoulder/4-lane configuration of Bewar to Allahganj section (Km 0.0 to Km 3.5) of NH-730C in the State of UTTAR PRADESH under Green National highways Corridor Project (GNHCP).

SCHEDULE

Land Acquisition for Rehabilitation and up-gradation to 2-lane with paved shoulder/4-lane configuration of Bewar to Allahganj section (Km. 0.000 to Km. 3.500) of National Highway No. NH-730C in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village								
1	2	3	4	5	6	7								
1	Additional District Magistrate (F/R) Mainpuri	0 KM To 3.5 KM	UTTAR PRADESH	MAINPURI	Bhogaon	<table><tr><td>1</td><td>Bewar</td></tr><tr><td>2</td><td>Gazianpur</td></tr><tr><td>3</td><td>Bewar Gramin</td></tr><tr><td>4</td><td>Bewar Shahri</td></tr></table>	1	Bewar	2	Gazianpur	3	Bewar Gramin	4	Bewar Shahri
1	Bewar													
2	Gazianpur													
3	Bewar Gramin													
4	Bewar Shahri													

[F. No. PIU/MoRTH/FRK/NH-730C/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director